न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2018RAAJu225RTA104 Munniram Vs Shanti

मुन्नीराम पुत्र शैतानाराम विश्नोई
निवासी खारा, तहसील फलोदी
जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. शान्ति पत्नी बलवन्ताराम विश्नोई
निवासी खारा तहसील फलोदी
जिला फलोदी

2. तहसीलदार फलोदी

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी फलोदी दिनांक 19 जून 2018 राजस्व प्रकरण संख्या 14/2018 शान्ति बनाम तहसीलदार फलोदी

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री बी.एल. विश्नोई, अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री बुधराम गोदारा, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 15 नवम्बर 2019

अपीलाण्ट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, फलोदी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 14/2018 शान्ति बनाम तहसीलदार फलोदी में पारित आदेश दिनांक 19 जून 2018 के खिलाफ अपीलाण्ट ने राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 03 जुलाई 2018 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर अपील की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थिनी-रेस्पो. संख्या एक ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए के तहत एक प्रार्थनापत्र स्वयं की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 393/14 व खसरा संख्या 393/8 कुल रकबा 13 बीघा वाके मौजा खारा तक आवागमन हेतु खसरा संख्या 446 से कदीमी रास्ता होना तथा अपनी भूमि में से राज्य सरकार को एक बीघा नौ बिस्वा भूमि गैरमुमकिन रास्ता के लिए समर्पित कर दिया जाना और उसकी तरमीम होकर खसरा संख्या 393/16 व 393/20 होना जाहिर करते हुए खसरा संख्या 446 में मार्क **ए-बी** के अनुसार विद्यमान मार्ग खसरा संख्या 393/8 व 393/14 में जाने के लिए 24 फीट चौडा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे एवं राजस्व नक्शें में तरमीम किये जाने हेतु निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया तथा अगली पेशी 15.2.1918 को तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट तलब की गयी और दिनांक 19 जून 2018 को अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। सर्वप्रथम अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने धारा 96 सीपीसी के प्रार्थनापत्र बाबत बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. का रास्ता खसरा सख्या 445 गैरमुमकिन ओरण में से दिया गया है, खसरा संख्या 445 पास के खसरा संख्या 446 गैरमुमकिन नाडी का भराव क्षेत्र है और इन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के खसरा संख्या 446 गैरमुमकिन नाडी का भराव क्षेत्र है और इन खसरान में बारिश का पानी एकत्र किया जाकर वर्ष भर गांव के सार्वजनिक उपयोग में लिया जाता है, अपीलाण्ट ग्राम खारा का निवासी है और गांव के सार्वजनिक स्रोतो में वह हितबद्ध एवं अपीलाधीन आदेश से प्रत्यक्ष प्रभावित पक्षकार है। अतः आलौच्य अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

अपील के गुणावगुण पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में जिला कलेक्टर जोधपुर से प्राप्त एक शिकायत प्रार्थनापत्र पूर्व से ही विचाराधीन था, जिसमें खसरा संख्या 446 गैरमुमकिन नाडी एवं इसकी अंगोर खसरा संख्या 445 के बाबत दीवानी वाद सिविल न्यायालय फलोदी में विचाराधीन प्रकरण संख्या 37/2018 में विवादित स्थल की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अस्तित्व में होने बाबत लिखा गया था। सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में रेस्पो. संख्या एक का पति बलवन्ताराम पक्षकार है, मगर इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कराने हेतु रेस्पो. संख्या एक के पति ने अपनी पत्नी अर्थात रेस्पो. संख्या एक से खातेदारी आरारजियात का समर्पणनामा राज्य सरकार के पक्ष में लिखवांया और अफसरशाही से मिल कर कायदे-कानून का मखौल उडाते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया। इतना ही नहीं, समर्पित भूमि का रकबा रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि के रकबे के बराबर ही है जबकि नियमानुसार जहॉ रास्ते में राजकीय भूमि प्रयुक्त हो रही है, वहॉ प्रयुक्त होने वाली भूमि से दुगुनी भूमि समर्पित किये जाने का प्रावधान है। वकील अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि खसरा संख्या 445 में सडक धरातल से ऊचाई पर नहीं बनायी जाती है तो नाडी का पानी रास्ते पर आकर रास्ता अवरुद्ध कर देगा, और अगर सडक धरातल से ऊचाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पर बनायी जाती है तो नाडी में वह कर जाने वाले पानी को अवरुद्ध कर देगी। तात्पर्य यह है कि किसी भी सूरत में खसरा संख्या 445 में रास्ता दिया जाना व्यवहारिक नहीं है। अपनी बहस में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि प्रार्थिनी-रेस्पो. ने पहले खसरा संख्या 446 में से रास्ता मांगा और फिर खसरा संख्या 445 में रास्ता दिये जाने की इस्तदुआ की। किन्तु इसके लिए संशोधन प्रार्थनपत्र पेश ही नही हुआ। ग्राम पंचायत अर्थात स्थानीय निकाय को भी मामले में पक्षकार ही नहीं बनाया गया है। नजरी नक्शें में क्या रास्ता कनेक्ट होता है, दोनों खसरे, खसरा संख्या 446 व खसरा संख्या 445 और बीच में खसरा संख्या 393/16 व बाद में 393/20 है। समर्पणनामा में खसरा संख्या 393/8 रकबा 8 बीघा में से 03 बिस्वा भूमि समर्पण करना वर्णित किया गया है। खसरा संख्या 393/8 को गैस एजेन्सी के लिए संपरिवर्तित करवा लिया है। जिसमें समर्पित भूमि को दशार्या नहीं गया है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने कथन किया कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।

जवाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधिवत पारित किया गया है, प्रार्थिनी-रेस्पो. को अपनी खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता थी, प्रदत्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं था, नियमानुसार उसके द्वारा समर्पणनामा राज्य सरकार के पक्ष में लिखा जाकर भौतिक कब्जा सुपुर्द किया गया है। प्रार्थिनी ही भूमि की खातेदार है, इसलिए समर्पणनामा उसके द्वारा ही निष्पादित किया जा सकता था, इसमें किसी प्रकार की कोई दुराभिसंधि की बात कहने का अधिवक्ता-अपीलाण्ट के पास ठोस आधार नहीं है। प्रदत्त रास्ते से पानी का बहाव रुक जायेगा, यह अपीलाण्ट का भ्रम मात्र है, यदि ऐसा होता तो

सभी जगह सडकों इत्यादि का कार्य ठप्प हो गया होता। अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपील अपीलाण्ट विना अधिकारिता के प्रस्तुत किये जाने तथा सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

जहाँ तक अपीलाण्ट आलौच्य मामले में हितवद्ध पक्षकार होने का प्रश्न है, **प्रदत्त रास्ता खसरा संख्या 445 गैरमुमकिन ओरण भूमि में से दिया गया है, उसके पास ही खसरा संख्या 446 गैरमुमकिन नाडी है। दोनों खसरान की आराजियात सार्वजनिक उपयोग की भूमि है,** ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट द्वारा सार्वजनिक भूमियों के संबंध में हितवद्ध होना स्वभाविक है क्योंकि ओरण एवं नाडी का गांव में ग्रामवासियों एवं मवेशियों के लिए अत्याधिक महत्व एवं उपयोग होता है। अतः अपीलाण्ट को हितवद्ध पक्षकार मानते हुए अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त वहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि प्रदत्त रास्ता खसरा संख्या 445 में दिया गया है वह गैरमुमकिन ओरण है। प्रस्तुत नक्शें के अनुसार इसके पास ही खसरा संख्या 446 है जो कि गैरमुमकिन नाडी है, **जाहिर है कि खसरा संख्या 445 का क्षेत्र उक्त गैरमुमकिन नाडी के लिए भराव क्षेत्र भी है।** ऐसी स्थिति में अधिवक्ता-अपीलाण्ट के इस कथन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि खसरा संख्या 445 में सडक धरातल से ऊचाई पर नहीं बनायी जाती है तो नाडी का पानी रास्ते पर आकर रास्ता अवरुद्ध कर देगा, और अगर सडक धरातल से ऊचाई पर बनायी जाती है तो नाडी में वह कर जाने वाले पानी को अवरुद्ध कर देगी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वितीय, मामले में खसरा संख्या 445 व 446 के संबंध में सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होना तथा सिविल न्यायालय द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा का जिक भी आया है, साथ ही खसरा संख्या 393/8, जिसमें से प्रार्थिनी/रेस्पो. संख्या एक द्वारा प्रदत्त रास्ते की एवज में राज्य सरकार के पक्ष में 03 बिस्वा भूमि का समर्पणनामा निष्पादित किया गया है, तक प्रस्तुत नक्शे के मुताबिक अनवरत मार्ग की उपलब्धता नहीं है, क्योंकि बीच में अन्य खरा 393/20 की भूमि भी आ जाती है।

तृतीय, रेस्पो. संख्या एक-प्रार्थिया द्वारा भूमि समर्पण करवाई गयी है, वह विधिक रूप से सशर्त नहीं होता है। इसलिए समर्पित भूमि की एवज में राजकीय गैरमुमकिन. भूमि में से रास्ता दिया जाना आवश्यक नहीं है। मुताविक रिपोर्ट खसरा संख्या 445 गैरमुमकिन ओरण में से लोगों का आवागमन है, इसलिए रेस्पो. संख्या एक भी आ जा सकती है।

चतुर्थ, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क के प्रावधानों के तहत खातेदार काश्तकार ही पक्षकार होकर उनकी खातेदारी भूमि में से रास्ता दिया जाना होता है। राज्य सरकार की गैरमुमकिन भूमि के सबंध में कोई प्रावधान नहीं है। इस दृष्टि से अपीलाधीन आदेश में भूमि. का कोई प्रतिकर भी निर्धारित नहीं किया गया। लिहाजा आदेश विधि-विरुद्ध है।

पंचम, धारा 251क के तहत किसी निजी खातेदार को अपनी जोत तक आवागमन हेतु रास्ता देने का प्रावधान है। उस पर सडक निर्माण करने के संबंध में तो प्रस्ताव स्थानीय निकाय ही ले सकता है या राज्य संरकार ही ले सकती है, परन्तु ऐसा निर्माण विवादित भूमि गैरमुमकिन नाडी एवं उसका निकटवर्ती खसरा संख्या 445 आगोर(गैरमुमंकिन ओरण) अर्थात पायतन का होने से अनुमत नहीं किया जा सकता।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19 जून 2018 अपास्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर